न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/620

मिसल नम्बर– 77 / 2023

1. श्रीमति सोहन बाई पत्नी स्वर्गीय बजरंग लाल आयु 65 साल जाति मेघवाल निवासनी जे०के० सूर सागर रामदेव मन्दिर के पास डीसीएम रोड पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा राज०

प्रार्थी।

बनाम

1.ज्योति पत्नी सुरेश कुमार जाति मेघवाल आयु 28

2.सुरेश कुमार आत्मज बजरंग लाल आयु 30 साल जाति मेघवालि निद्रासीगण जे०के० सूर सागर रामदेव मन्दिर के पास डीसीएम रोड पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा राज०

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 12/3/25

उपस्थितिः–

1.श्री पृथ्वीराज सिंह शक्तावत अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री विरेन्द्र सिंह भानावत अधिवक्ता अप्रार्थीगण

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एक 65 वर्षीय सीनियर सीटीजन महिला है तथा प्रार्थीया व अप्रार्थीगण दोनों पति पत्नी है जो कि प्रार्थीया के बेटे बहू है। प्रार्थीया व प्रतिपक्षीगण एक ही मकान में निवास करते है तथा उक्त मकान प्रार्थीया के पति स्वर्गीय श्री बजरंग लाल जी के स्वामित्व का था तथा प्रार्थीया के पति का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रार्थीया बेसहारा एवं विधवा पत्नी है। लेकिन अप्रार्थीगंण नम्बर 1, जो कि प्रार्थीया की बहू है वह प्रार्थीया व अप्रार्थीगण कम 2 के साथ हमेशा गालियां देती रहती है तथा कहने पर मारपीट करती है यानि कि अप्रार्थी नम्बर–1 एक झगडालू व आवारा किस्म की औरत है जिसने पूरे परिवार को दुखी कर रखा है तथा घर में आयेदिन कलह का माहोल बनाकर रखती है। यह कि प्रार्थीया के एक छोटा पुत्र योगेश है जो कि प्रार्थीया के साथ ही निवास करता है लेकिन अप्रार्थीगण कम–1 योगेश के उपर भी गलत आरोप लगाती है तथा कहने पर कहती है कि मैं इसको बलात्कार के केस में अन्दर बन्द करा दूंगी तथा मेरा कोई कुछ नही कर सकता मै चाहूं जो कर सकती हूं तथा प्रार्थीया व उसके पति की बात नहीं मानती है तथा प्रार्थीया के बेटे यानि कि प्रतिपक्षी नम्बर–2

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के साथ भी बुरी तरह से मारपीट करती है तथा रात रात भर गायब रहती है तथा कहने पर जान से मारने की धमकियां देती है तथा घर में कलह बनाये रखती है। दिन रात दूसरे व्यक्तियों से मोबाइल पर बात करती रहती है। तथा अप्रार्थी कम 1 बार बार अपने पिता व भाई व परिवारजन को बुलाकर प्रार्थीया व उसके पुत्रों पर धमकियां दिलाती है तथा वह सभी इसका सहयोग करते हुए गालियां देते है व मारपीट करने पर आमादा हो जाते है तथा प्रार्थीया के साथ उसके परिवारजन ने कई बार मारपीट कर चुका है व प्रार्थीया को घर से निकालने पर आमादा है खुद कपडे फाडकर छेडछाड का आरोप लगाकर थाने में जाने की धमकियां देती है कई बार प्रार्थीया के साथ हाथापाई कर चुकी है। प्रार्थीया को अप्रार्थी नम्बर–1 द्वारा ज्यादा परेशान करने व प्रार्थीया के साथ मारपीट करने के कारण प्रार्थीया ने एक परिवार धारा 107, 116(3), सीआरपीसी का भी पेश किया गया था जिसमें प्रतिपक्षी नम्बर–1 पाबंद चली आ रही है लेकिन प्रतिपक्षी नमबर–1 पाबंद होने के उपरान्त भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है तथा प्रार्थीया की बात नहीं मानती है न ही किसी से बात करती हे न ही किसी प्रकार का काम धाम करती है। प्रतिपक्षी नम्बर–1 कहने को तो प्रार्थीया की बहू है लेकिन उसके द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे है जिससे कि प्रार्थीया को बहू कहने तक में शर्म आती है क्योकि वह एक आवारा किस्म की औरत है जो किसी की बात तक नहीं सुनती है तथा कहने पर उल्टा जवाब देती है व मारपीट व जान से मारने की धमकियां आदि देती हे तथा प्रतिपक्षी नम्बर–1 के विरूद्ध कई बार रिपोर्ट दर्ज करने के उपरान्त भी उसको अक्ल नहीं आ रही है न ही घर से बाहर जा रही है यहां तक घर में हमेशा वातावरण बिगाड कर रखती है यानि कि प्रतिपक्षी नम्बर–1 प्रार्थीया व उसके पुत्र को घर से बाहर निकालने पर आमादा है जबकि प्रार्थीया एक बुजुर्ग महिला है तथा विधवा है। प्रतिपक्षी नम्बर–1 प्रार्थीया व उसके पुत्र को घर से बेदखल कर पूरे घर पर कब्जा करने पर आमादा है इसलिये प्रतिपक्षी नम्बर–1 को उक्त मकान में रहने का अधिकार. भी नहीं है तथा प्रतिपक्षी नम्बर–2 कुछ कहने पर उसके साथ भी अभद्र व्यवहार व गलत रूप से मारपीट करती है। अतः परिवाद पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीया के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया मकान नम्बर जे०के० सूर सागर रामदेव मन्दिर के पास डीसीएम रोड पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा राज० से अप्रार्थी नम्बर–1 व 2 को बेदखल किए जान हेतु आदेशित किया जावे और अप्रार्थी को उनके कृत्यों के लिए दण्डित किया जावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझै प्रर्थीया को दिलायी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण का जवाब का अवसर बंद किया गया।

पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेद किया गया है कि प्रार्थीया के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के मकान नम्बर जे. के सूर सागर रामदेव मंदिर के पास डीसीएम रोड पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा राजस्थान से अप्रार्थी नं 1 व 2को बेदखल किए जाने हेतु आदेशित किया जावे अप्रार्थीगण को उनके कृत्यो के लिए दंडित किया जावे ।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण 1 एवं 2 द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को

गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण 1 व 2 को वर्णित मकान जे. के सूर सागर रामदेव मंदिर के पास डीसीएम रोड पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा राजस्थान से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश का पालना नही की जाती है कि तो प्रार्थी उक्त मकान से अप्रार्थी की बेदखली हेतु पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 12/3/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल षुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा